उपखण्ड-सामान्य 1/2002

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6-2-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार [illegible] को पेश हो।	
8-5-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार [illegible] 29-5-18 को पेश हो।	
29.5.18	पत्रावली प्रस्तुत वकील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार [illegible] को पेश हो।	
11-9-18	पत्रावली पेश। पक्षकारों [illegible] एवं अपीलांट स्वयं [illegible] न्यायालय समय सायंकाल [illegible] इन्तजार किया गया [illegible] अधिवक्ता [illegible] अपीलांट अप[illegible] एवं [illegible] की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official